Title: Need to relax forest laws with a view to implement programmes for development of Adivasi areas of Bharuch parliamentary constituency.

श्री मनसुखभाई डी.वसावा (भरूच) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वन संरक्षण अधिनियम 1980 एवं सेंचुरी संबंधी कानूनों से मेरे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र पर पड़ रहे नकारात्मक प्रभाव की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। इन दोनों कानूनों के चलते मेरे भरुच संसदीय क्षेत्र के पिछड़े क्षेत्र एवं आदिवासी क्षेत्रों के विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं, न प्रधान मंत्री सड़क योजनाएं बन पा रही हैं और न ही बिजली संबंधी ग्राम विद्युतीकरण एवं टेलीफोन आदि दूसरे विकास कार्य शुरु किए जा सके हैं। अभी हमने केन्द्र सरकार से अपने इस संसदीय क्षेत्र के कन्जी बान्दरी गांव की सड़क के लिए एक करोड़ 42 लाख रुपए स्वीकृत करवाए परन्तु इन दोनों कानूनों से यह कार्य भी शुरु नहीं हो पा रहा है। हालांकि सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन किया है परन्तु इन समस्याओं का समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। मैं सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि पिछड़े एवं आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए इन कानूनों को शिथिल करे जिससे आदिवासी ए वं पिछड़े क्षेत्रों के विकास कार्य में कोई बाधा न पड़े।